जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

मुख्य अभियंता (वाणिज्य)

क्रमांक/जवि/मुअ(वा)/सी-I/एफ4(214)/पार्ट IV/प्रे. 2068 दिनांक 18.09.09

-: आदेश :-

विषय :- कृषि उपभोक्ताओं के बकाया बिलों के निस्तारण हेतु "कृषक राहत एवं भुगतान सहायता योजना"(Amnesty Scheme-2009-2010)।

कृषि श्रेणी के अनेक उपभोक्ताओं के विद्युत बिलों की काफी राशि बकाया है तथा उस पर प्रतिमाह विलम्ब सरचार्ज (डीपीएस) भी बढता जा रहा है । इस बारे में विचार कर ऐसी राशि की शीघ्र वसूली करने हेतु उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिये निम्नलिखित "कृषक राहत एवं भुगतान सहायता योजना – 2009–10(Amnesty Scheme-2009-2010)" लागू की जाती है:-

1. चालू (Running)कृषि श्रेणी (मीटर एवं फ्लैट दर कनेक्शन हेतु) :

   31.3.2009 को कुल बकाया राशि में से मूल बकाया राशि का एक मुश्त 31.10.2009 तक जमा कराने पर, कुल बकाया राशि में से "विलम्ब से भुगतान अधिभार (DPS)"की राशि माफ कर दी जावेगी। साथ ही 1.04.2009 से भुगतान करने की तिथी तक इकट्ठी हुई मूल राशि एवं 31.3.2009 को बकाया मूल राशि तथा दोनों राशियों पर "विलम्ब से भुगतान अधिभार (DPS)" भी उपभोक्ता को जमा कराना होगा ।

2. 31.3.09 को अथवा इससे पूर्व में कटे हुए (Disconnected)कृषि श्रेणी (मीटर एवं फ्लैट दर) कनेक्शन हेतु :

   31.3.09 को कुल बकाया राशि में सम्मिलित "विलम्ब भुगतान अधिभार (DPS)" की राशि माफ कर दी जावेगी एवं मूल राशि मय 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज (1.4.2009 से भुगतान की तिथी तक) उपभोक्ता द्वारा एक मुश्त जमा कराना होगा।

3. उपरोक्त योजना का लाभ लेने हेतु आवश्यक शर्ते :-
   (i) यह योजना 31.10.2009 तक लागू रहेगी।

   (ii) योजना सभी कटे एवं चालू कृषि कनेक्शनों (मीटर एवं फ्लेट रेट)

(iii) उपरोक्त रियायती योजना के अन्तर्गत बकाया जमा कराने के लिये उपभोक्ता द्वारा संलग्न आवेदन पत्र के प्रारूप अनुसार भरकर सम्बधित सहायक अभियन्ता कार्यालय में प्रस्तुत किया जा सकता है।

(iv) विद्युत चोरी, अनियमितता एवं दुरूपयोग आदि के प्रकरणो में यह योजना को लागू नहीं होगी।

(v) न्यायालयों में लम्बित मामलों की स्थिति में संबंधित उपभोक्ता को स्वेच्छा से अपना केस न्यायालय से वापस लेने की अन्डरटेकिंग देनी होगी।

(vi) इस योजना का लाभ उन उपभोक्ताओं को नही मिलेगा जिन्होने निगम के आदेश क्रमांक जेपीआर5–318 दिनांक 7.3.2006, जेपीआर5–393 दिनांक 17.4.07, जेपीआर5–448 दिनांक 19.2. 2008, एवं जेपीआर5–506 दिनांक 03.10.08 के अन्तर्गत इस तरह की योजना का लाभ लिया था।

(vii) संबंधित सहायक अभियन्ता, विलम्ब भुगतान अधिभार/ब्याज की रकम का लाभ देने में सक्षम होंगें।

(viii) यदि उपभोक्ता उपरोक्त योजना के अनुसार निर्धारित राशि को समय पर जमा कराने में असफल रहता है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

(ix) कटे हुए कनेक्शनों को पुर्नस्थापित कराना आवश्यक नहीं है। हॉलांकि कटे हुए कनेक्शनों को कृषि कनेक्शन नीति के अनुसार ही पुर्नस्थापित किया जायेगा।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

आज्ञा से,

18-9-2009

(एन.एम.सरीन)

मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य)

अनुलग्नक 'अ'

आवेदन पत्र अन्तर्गत "कृषक राहत एवं भुगतान सहायता योजना" (Amnesty Scheme) 2009—10

सहायक अभियन्ता (
जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.
———————————— ।

महोदय,

मैं रियायत योजना 2009—10 के अन्तर्गत लाभ उठाना चाहता हूँ। मेरे कनेक्शन का विवरण निम्न प्रकार से है:—

1. उपभोक्ता का नाम एवं पता

2. विद्युत कनेक्शन की श्रेणी

3. उपभोक्ता का खाता संख्या

4. सम्बन्धित कार्यालय का नाम जहॉ से बिल जारी होते है।

5. विद्युत संबंध विच्छेद है अथवा चालू है

6. प्रमाणित किया जाता है कि मैंने/हमने निगम के आदेश क्रंमाक जेपीआर5—318 दिनांक 7.3.2006, जेपीआर5—393 दिनांक 17.4.07, जेपीआर5—448 दिनांक 19.2.2008 एवं जेपीआर5—506 दिनांक 03.10.08 के अन्तर्गत इस तरह की योजना का लाभ नहीं लिया था।

7. प्रमाणित किया जाता है कि मेरे पर बकाया राशि विद्युत चोरी (Theft)व अनियमितता (Malpractice)के मद में नहीं है।

8. मै प्रमाणित करता हूँ कि मेरा उपरोक्त विद्युत सम्बन्ध के बारे में कोई कोर्ट केस लम्बित नहीं है।

अथवा

मेरे उपरोक्त विद्युत संबंध के बारे में जयपुर विद्युत वितरण निगम के विरूद्ध जो कोर्ट केस लंबित है, उसे वापिस

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक (वित्त) जयपुर डिस्कॉम,जयपुर।
2. निदेशक (तकनीकी) जयपुर डिस्कॉम,जयपुर।
3. संम्भागीय मुख्य अभियंता (संभाग/आर.पी) जयपुर डिस्काम, जयपुर/कोटा
4. उप मुख्य अभियंता (एम.एम)जयपुर डिस्कॉम,जयपुर
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (विजीलेन्स) जयपुर डिस्काम ,जयपुर(30 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
6. मुख्य कार्मिक अधिकारी, जयपुर डिस्काम ,जयपुर
7. मुख्य लेखाधिकारी, जयपुर डिस्काम ,जयपुर
8. उप मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता (पावर), रीको जयपुर
9. अधीक्षण अभियंता ( ) , जयपुर डिस्काम , ——————
10. सचिव, जयपुर डिस्काम, जयपुर
11. वरिष्ट लेखाधिकारी/लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी ( ) जयपुर डिस्कॉम,———
12. अधिशाषी अभियंता( ), जयपुर डिस्काम ——————
13. अधिशाषी अभियन्ता ( ) , जयपुर डिस्काम ————को उनके क्षेत्राधिकार वाले सहायक अभियन्ता /कनिष्ठ अभियंता/उप खण्डीय लेखाकार /लेखाकार के लिये 10 अतिरिक्त प्रतियों के साथ ।
14. अधिशाषी अभियन्ता (विद्युत) राजस्थान आवासन मण्डल,जयपुर
15. अधिशाषी अभियन्ता (ग्रीवेन्स) जयपुर डिस्काम ,जयपुर
16. कम्पनी सचिव, जयपुर डिस्काम /राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम, जयपुर
17. निजी सचिव, माननीय ऊर्जा मंत्री , राजस्थान सरकार, जयपुर ।
18. निजी सचिव, सचिव (ऊर्जा), राजस्थान सरकार, जयपुर
19. निजी सहायक/तकनीकी सहायक, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक रा.वि.प्र.नि. जयपुर
20. निजी सहायक/तकनीकी सहायक, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक,जयपुर डिस्कॉम, जयपुर .
21. निजी सहायक – प्रबन्ध निदेशक ,जोधपुर/अजमेर डिस्कॉम , जोधपुर/अजमेर
22. मिडिया सलाहकार, जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।
23. जन सम्पर्क अधिकारी , जयपुर डिस्काम, जयपुर
24. वरिष्ठ लेखाधिकारी(एफ पी—5), ऐजी आडिट, शेड नं.14/1, जयपुर।
25. वरिष्ठ लेखाधिकारी (सीएडब्ल्यू—।।।) ऐजी आडिट ,शेड न. 4/1जयपुर
26. सहायक अभियन्ता (——————) जयपुर डिस्कॉम ——————
27. क्षेत्रीय कमिश्नर, लोकपाल, मिनी सचिवालय, कलैक्ट्री के पास, जयपुर
28. ——————————————————————

18.9.2009

मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य)